न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3635–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 33/अपील/2013–14.

रघुवीर सिंह पिता स्वर्गीय महाराज रामेश्वरसिंह
निवासी भरतराज भवन मुलथान मालवा
तहसील बदनावर जिला धार

.....आवेदक

विरूद्ध

1–म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला धार
2–तहसीलदार बडनगर जिला धार म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/12/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मुलथान राजभवन से लगा हुआ तालाब सर्वे नम्बर 1198, 2058 रकबा करीब 65 बीघा व मालागर तालाब के सर्वे कमांक 2127, 2129, 2130, 2131 तथा 2132 रकबा तकरीबन 15 बीघा के संबंध में मध्य भारत

जागीर समाप्ति विधान की धारा (5) सी के तहत तहसीलदार बदनावर द्वारा अपने प्रकरण कमांक 7/57X51 में दिनांक 11–12–1959 को आदेश पारित कर बडा तालाब व मालागर तालाब पर महाराजा भरतसिंह का आधिपत्य वैध मानते हुये राजस्व अभिलेखों में सरकार शब्द के स्थान पर कृषक महाराजा भरतसिंह का नाम इंद्राज करने का आदेश प्रदान किया गया था जिसे वर्तमान राजस्व अभिलेखों में इंद्राज किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 8–6–2009 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध निगरानी कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिनांक 31–3–2010 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23–3–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं कलेक्टर न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की गई । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश को निरस्त कर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये । माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में अपर आयुक्त के समक्ष कार्यवाही की जाकर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–6–2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ पेशी दिनांक 22–11–2017 को आवेदक की ओर से सूचना उपरांत किसी के उपस्थित नहीं होने पर अनावेदकगण के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया तथा आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बिना पालन किये आदेश किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है, अतः उक्त आदेश के अनुसार प्रश्नाधीन तालाबों पर आवेदक का नाम दर्ज किया जाना चाहिये ।

(3) तहसीलदार को संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरनिहित शक्तियॉ प्राप्त है जिसके उपयोग में आवेदक जो कि प्रश्नाधीन तालाबों का वास्तविक स्वामी है उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करना चाहिये ।

(4) संहिता की धारा 27(2) के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में आवेदक का कब्जा चला आ रहा है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन तालाबों पर आवेदक का नाम दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन तालाब वर्तमान में शासकीय दर्ज है अतः शासकीय तालाबों पर आवेदक का ना दर्ज नहीं किया जा सकता है इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में विधिवत कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश यथावत रखा गया है कि आवेदक ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 11–12–1959 के अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने हेतु 49 वर्ष पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रचलन योग्य नहीं था, क्योंकि राजस्व अभिलेखो में प्रश्नाधीन तालाब सरकार के नाम अंकित थे और आवेदक उसके स्थान पर नई प्रविष्टि कराना चाहता था । यदि आवेदक प्रश्नाधीन शासकीय तालाब को अपनी निजी सम्पत्ति मानता है तो उसे

49 वर्ष पुराने आदेश के पालन में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र पत्र प्रस्तुत करने के बजाय संहिता की धारा 57 (2) के अन्तर्गत विवाद का निराकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र राज्य शासन को प्रस्तुत करना चाहिए । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर